भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1697

(दिनांक 13.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

सीबीएफसी के अंतर्गत फिल्म प्रमाणीकरण समय-सीमा

1697. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मों के प्रमाणन में हो रही देरी को लेकर उद्योग जगत द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की समीक्षा की है;

(ख) पिछले वर्ष प्रमाणन में औसतन कितना समय लगा;

(ग) क्या पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) फिल्म प्रमाणन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के अनुसार कार्य करता है। चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 37 के अंतर्गत, फिल्मों के प्रमाणन के लिए निर्धारित समय-सीमा 48 कार्यदिवस है। इसके अलावा, प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और दक्षता के संबंध में उद्योग की चिंताओं के समाधान हेतु, सरकार ने ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के माध्यम से एक पूर्णतः डिजिटल ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली ने पारदर्शिता को बढ़ाया है और समय-सीमा को कम किया है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान में प्रमाणन के लिए लगने वाला औसत समय निर्धारित सीमा के भीतर है, जो फीचर फिल्मों के लिए 18 कार्यदिवस और लघु फिल्मों के लिए 3 कार्यदिवस है।

****